



कार्यालय : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मेड़ता।
न्यायालय परिसर, मेड़ता।

Email : dlsa27merta@gmail.com

Phone : 01590-294039

क्रमांक : जि.वि.से.प्रा./2025/01

दिनांक : ०७...फरवरी 2025

:- विज्ञप्ति :-

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के कार्यालय आदेश क्रमांक एफ-7(136) रालसा/संस्था-संविदा सेवा-वाहन/2025/65 दिनांक 04.02.2025 द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मेड़ता, स्थाई लोक अदालत मेड़ता तथा अधीनस्थ ताल्लुका विधिक सेवा समितियों के लिये वर्ष 2025-26 में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पदों के लिये संविदा के अधार पर सेवानिवृत्त कर्मचारीगण/विपरीत प्रतिनियुक्ति की सेवाएँ 01.03.2025 से दिनांक 31.03.2026 या उक्त पदों पर नियमित भर्ती होने तक (दोनों में से जो भी पहले हो) के लिये निम्नानुसार ली जानी है :-

क्र.सं.	कार्यालय	रिक्त पदों की संख्या
1.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मेड़ता	04
2.	स्थायी लोक अदालत, मेड़ता	02
3.	ताल्लुका विधिक सेवा समिति नागौर	01
4.	ताल्लुका विधिक सेवा समिति परबतसर	01
5.	ताल्लुका विधिक सेवा समिति डीडवाना	01
6.	ताल्लुका विधिक सेवा समिति मकराना	01
7.	ताल्लुका विधिक सेवा समिति लाडनूं	01
8.	ताल्लुका विधिक सेवा समिति कुचामन	01
9.	ताल्लुका विधिक सेवा समिति जायल	01
10.	ताल्लुका विधिक सेवा समिति डेगाना	01
11.	ताल्लुका विधिक सेवा समिति नावां	01

शर्त :-

01. उक्त पदों पर सेवाओं के फलस्वरूप समेकित पारिश्रमिक राशि उक्त परिपत्र के संलग्न पारिशिष्ट-क के अनुसार होगी व मानदेय का भुगतान राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।
02. उपरोक्त पद पूर्णरूपेण अनुबन्ध पर सेवा के आधार पर होंगे।
03. उपरोक्त पदों पर राज्य सरकार की सेवा से सेवानिवृत्त 65 वर्ष से कम आयु के स्वस्थ व्यक्ति रिक्तियों की कनिष्ठतम वेतन श्रृंखला में अनुबन्ध के आधार पर आवेदन कर सकते हैं, न्यायिक कर्मचारी को प्राथमिकता दी जावेगी।
04. कार्मिक को पुनर्नियुक्ति के समय सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
05. केवल ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारी, जिन्होंने 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, की समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति पर सेवाएँ लेने हेतु विचार किया जायेगा। ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारी, जिन्हें सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया था या जिन्हें किसी अन्य रीति से दण्डित किया गया था, के संबंध में समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जायेगा।
06. संविदा के आधार पर कर्मचारी की सेवाएँ वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिये अपेक्षित हैं, कार्मिकों की सेवा अवधि माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार दिनांक 31.03.2026 तक या नियमित भर्ती होने तक जो भी पहले हो तक लगाया जायेगा।
07. सेवा निवृत्त कर्मचारीगण अपने आवश्यक दस्तावेजात मय आवेदन-पत्र इस कार्यालय में दिनांक 13.02.2025 तक आवेदन कर सकते हैं।

.....02




08. उक्त पदों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मेड़ता के कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं।

इच्छुक सेवानिवृत्त/विपरीत प्रतिनियुक्ति हेतु चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को विज्ञप्ति के संलग्न आवेदन पत्र के प्रारूप में मय वांछित दस्तावेज आवेदन प्रस्तुत करेंगे। उक्त सेवाएं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त आदेशों/निर्देशों के अध्यक्षीन प्रभावी रहेगी। उक्त सेवाएं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेड़ता पर रिक्त पदों के अनुसार ली जायेगी।

अतः सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित शर्तों पर सेवाएं देने वाले इच्छुक सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी दिनांक 13.02.2025 को दोपहर 05.00 बजे तक इस कार्यालय में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

आवेदन के साथ निम्नांकित दस्तावेज संलग्न किये जाने आवश्यक है:-

1. विभाग द्वारा जारी सेवानिवृत्ति आदेश की प्रति
2. अन्तिम भुगतान प्रमाण पत्र (एलपीसी) की प्रति
3. पीपीओ की प्रति
4. विभागाध्यक्ष द्वारा जारी प्रमाण -पत्र (प्रारूप संलग्न है)।


07/02/25
सचिव


जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
मेड़ता।

क्रमांक : जि.वि.से.प्रा./2025/783-804

दिनांक : 07.02.2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है :-

01. श्रीमान सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
02. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मेड़ता
03. श्रीमान् अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त राजस्थान।
04. जिला कलक्टर, नागौर।
05. जिला पुलिस अधीक्षक, नागौर
06. अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति, नागौर/परबतसर/डीडवाना/मकराना/लाडनूं/कुचामन/जायल/डेगाना/नावां के कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
07. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, नागौर।
08. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक, नागौर
09. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक, नागौर
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर
11. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, नागौर
12. जिला रोजगार कार्यालय, नागौर
13. सिस्टम ऑफिसर, जिला एवं सेशन न्यायालय मेड़ता को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
14. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।


07/02/25
सचिव

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
मेड़ता।